

378 वरु उपस्थित। सा. राजब मठुल अजमेर  
के वसंठ 7 अ. (मि.) 2023 / 6236 / गंगानगर / 2.2.24 /  
11578 दिनांक 20.11.23 द्वारा न्यायालय की पञ्चावली  
F. 303/22 सिविल दिनांक 17.10.23 द्वारा पाईगर्  
है। आदेशो की पालना में न्यायालय की पञ्चावली संख्या  
303/22 सा. राजब मठुल अजमेर को उचित की  
जसे।

आदेश हुआ जादा ✓

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

क्रमांक / राजस्व / दावा / 303 / 2022 / 09.02.2024 / 2056 दिनांक:- 26.02.2024

श्रीमान निबन्धक महोदय,  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर।

विषय:-राजस्व वाद पत्र संख्या 303/2022 अनवान नवज्योत कौर बनाम  
दलवीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर.टी.ए. भिजवाने  
हेतु।

प्रसंग:-आपका पत्रांक / टीए / निग / 2023 / 6236 / गंगानगर / 02 / 02  
/ 24 / 11578 दिनांक 20.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 303/2022  
अनवान नवज्योत कौर बनाम दलवीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88,188,209 आर0टी0ए0  
निर्णय दिनांक 17.10.2023 (प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करने के विरुद्ध)  
कुल पृष्ठ-...3... इस पत्र के संलग्न अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-एक पत्रावली

भवदीय



(सन्दीप कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़